prhp

मध्यस्थता के

दिशा–निर्देश

RR Donnelley
B52684 (Hindi)

विषय–सूची

मध्यस्थता को पुल बनाने में मदद करने दें	2
मध्यस्थता कैसे सहायक हो सकती है?	3
क्या मध्यस्थता मेरी समस्या के समाधान में सहायक हो सकती है?	4
क्या दूसरा व्यक्ति इस पर सहमत होगा?	4
क्या होता है?	5
क्या मुझे औपचारिक तरीका नहीं अपनाना चाहिए?	6
क्या मध्यस्थता हमेशा कारगर होती है?	7
हमसे संपर्क कैसे करें	8

आपके किराये के मकान में मरम्मत और रख–रखाव की समस्यायें हैं क्या?

मध्यस्थता को पुल बनाने में मदद करने दें

स्कॉटलैंड में हर साल मकानमालिक और किरायेदार बहुत सी समस्याओं को जल्दी और दोस्ताना तरीके से हल कर लेते हैं। यद्यपि कभी–कभी ऐसी भी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, जब हल ढूँढ़ना कठिन हो जाता है। प्राइवेट रेंटेड हाउसिंग पैनल (Private Rented Housing Panel) यह तय कर सकता है कि मकानमालिक अपने कर्तव्य निभाने में असफल रहा है या नहीं, लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका है, जो अक्सर ज्यादा संतोषजनक ढंग से मामले को निपटा सकता है – एक ऐसा तरीका, जिससे सभी सहमत होते हैं। इस तरीके को मध्यस्थता कहा जाता है और यह तेज़, अनौपचारिक और इस्तेमाल में आसान है।

मध्यस्थता कैसे सहायक हो सकती है?

मध्यस्थता, विवादों को अनौपचारिक ढंग से निपटाने का एक ऐसा तरीका है, जिसमें औपचारिक पद्धति के बराबर ख़र्चा, समय और आपसी मनमुटाव नहीं होता।

मध्यस्थता व्यावहारिक, गोपनीय, शीघ्र और मुफ़्त है।

मध्यस्थता नियमित रूप से लोगों के बीच सभी तरह की कठिनाईयाँ दूर करने में मदद करती है, चाहे वह छोटे–मोटे मतभेद हों या बेहद गंभीर और लंबे समय से चले आ रहे विवाद हों।

मध्यस्थ ऐसे प्रशिक्षित निष्पक्ष लोग होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कोई सर्वमान्य हल ढूँढ़ने में कुशल होते हैं।

क्या मध्यस्थता मेरी समस्या के समाधान में सहायक हो सकती है?

पूरी उम्मीद है कि हो सकती है। मध्यस्थ, मकानमालिकों और किरायेदारों के बीच पैदा होने वाले किसी भी मतभेद पर चर्चा करने को तैयार होते हैं और जहाँ आपको अपना दृष्टिकोण सामने रखने का पूरा मौका दिया जायेगा, वहीं आपको दूसरे व्यक्ति की बात सुनने का भी मौका मिलेगा। मध्यस्थता का लक्ष्य यही होता है कि कोई ऐसा समाधान ढूँढ़ा जाये जिस पर सभी लोग राज़ी हों।

क्या दूसरा व्यक्ति इस पर सहमत होगा?

यदि आप किरायेदार हैं तो आपको बस इतना ही करना है कि Private Rented Housing Panel के नाम अपने आवेदन में "मध्यस्थता" के बॉक्स पर सही का निशान (✓) लगा दें। इसके बाद आपके मकानमालिक को सूचित कर दिया जायेगा कि आप मध्यस्थता का इस्तेमाल करके कोई समाधान पाना चाहते हैं और उनसे पूछा जायेगा कि क्या वे इस पर सहमत हैं। अक्सर, दोनों ही पक्ष, औपचारिक सुनवाई के बजाय मध्यस्थ का इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मध्यस्थ ऐसे समाधान ढूँढ़ लेते हैं जो सभी को मान्य होते हैं।

यदि आप मकानमालिक हैं, तो आपसे मध्यस्थता के बारे में विचार करने को तभी कहा जायेगा, जब किरायेदार पहले से ही इसके लिए राज़ी हो। ऐसा इसलिए, क्योंकि पहले–पहल किरायेदार ने ही आवेदन दिया है और मध्यस्थता के लिए यह ज़रूरी है कि दोनों पक्ष उसमें हिस्सा लेने को तैयार हों।

क्या होता है?

यदि आप दोनों सहमत हैं और ऐसा लग रहा हो कि मध्यस्थता से समाधान संभव है, तब बैठक के लिए दिन और स्थान तय कर दिया जायेगा।

सबसे पहले मध्यस्थ दोनों पक्षों से स्थिति पर चर्चा के लिए अलग–अलग मिलेंगे। मध्यस्थ साझा हितों की बातें तय करने और आगे बढ़ने के रास्ते तलाशने में मदद करने में कुशल होते हैं।

दोनों पक्षों की सहमति से सभी लोग मिलकर बैठेंगे। मध्यस्थता बैठकें इस तरह आयोजित की जाती हैं कि सभी को अपना दृष्टिकोण सामने रखने का मौका मिलता है और सब कुछ अच्छी तरह चले, यह सुनिश्चित करना मध्यस्थों का काम होता है। दस मध्यस्थता बैठकों में से नौ सफल रहती हैं।

यदि ऐसे कोई विशेष कारण हैं कि लोग आमने–सामने नहीं मिल सकते, तब कभी–कभी मध्यस्थ इस तरह भी काम करते हैं कि बिना मिले ही उनके मतभेद दूर हो जायें।

क्या मुझे औपचारिक तरीका नहीं अपनाना चाहिए?

बहुत से विवादों के लिए औपचारिक समाधान हमेशा ही उपयुक्त या सही विकल्प नहीं होते। ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपकी परिस्थिति के बारे में नियम–क़ानून स्पष्ट नहीं हैं या लागू नहीं होते; पक्ष या विपक्ष की ओर से सबूत उपलब्ध कराना कठिन है; या किसी एक के "विजेता" और एक के "पराजित" हो जाने पर आपकी बीच की स्थिति और बिगड़ जायेगी।
इसीलिए मध्यस्थता बहुत कारगर साबित होती है – वह भविष्य के लिए ऐसे समाधान पेश करती है, जो सभी संबद्ध पक्षों को स्वीकार्य होते हैं, और जहाँ सभी रास्ते बंद हो चुके हों, वहाँ भी राह तलाश कर लेती है। इसीलिए सार्वजनिक संगठन भी यही सुझाव देते हैं कि लोग मध्यस्थता का इस्तेमाल करें।

क्या मध्यस्थता हमेशा कारगर होती है?

विवादों को सुलझाने के अन्य सभी तरीकों की ही तरह, मध्यस्थता भी सफलता की गारंटी नहीं है। यदि मध्यस्थता कारगर नहीं होती, तब भी आप कोई और तरीका अपना सकते हैं, और प्राइवेट रेंटेड हाउसिंग पैनल कमेटी तब भी आपके आवेदन पर विचार कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे तब करती, जबकि आपने मध्यस्थता का सहारा न लिया होता।

हमसे संपर्क कैसे करें

यदि आप हमारी मध्यस्थता सेवा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिये पते पर हमसे संपर्क करें:

Private Rented Housing Panel
3rd Floor
140 West Campbell Street
Glasgow G2 4TZ

टेलीफ़ोन: 0141 572 1170
फ़ैक्स: 0141 572 1171

www.prhpscotland.gov.uk